फद अहकाा

न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

राजस्व अपील संख्या 36/2018

अनवान

1. श्यामलाल दत्तक पुत्र स्व0 दाऊ जाति ढोली निवासी नया शहर, किशनगढ तहसील किशनगढ जिला–अजमेर। ......अपीलान्ट

बनाम

. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ .... रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– श्री हेमराज राठौड राजकीय अभिभाषक

आदेश दिनांक :– 27.06.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मदनगंज तहसील किशनगढ के पुराने साबिक खसरा नं0 10 नवीन खसरा संख्या 73 रकबा 06–3–00 बीघा के नवीन खसरा नं0 73/1 रकबा 06–03–00 पर सवंत 2021 से पूर्व अपीलान्ट की नानी तथा उनकी मृत्यु के पश्चात अपीलार्थी की माता शान्ती बेवा दाऊलाल काबिज काश्त चली आ रही थी। अपीलार्थी की माता के स्वर्गवास के पश्चात अपीलार्थी ही वर्णित आराजी पर काबिज काश्त चला आ रहा है। अपीलान्ट की नानी स्व ललिता बेवा गोकुल के पक्ष में आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 6.12.1978 को प्रश्नगत आराजी के नियमन का आदेश पारित कर तहसीलदार को राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने हेतु निर्देशित किया गया था। किन्तु तहसीलदार किशनगढ द्वारा प्रश्नगत आराजी के खातेदारी अधिकार कई बार निवेदन करने के उपरान्त भी प्रदान नहीं किये गये। जबकि कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियमन 18 के मुताबिक तहसीलदार को आवंटन/नियमन के 3 वर्ष पश्चात खातेदारी अधिकार स्वतः ही प्रदान किये जाने चाहिए थे। तहसीलदार किशनगढ के समक्ष उक्त नियमन शुदा कृषि भूमि के खातेदारी अधिकार दिये जाने के लिए अपीलार्थी द्वारा दिनांक 27.11.2013 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रेस्पोडेन्ट द्वारा सरसरी तौर पर खारिज कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में एस.बी.सिविल रिट पिटीशन नं0 7751/2015 पेश की गई जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा दिनांक 28.11.2016 को निर्णय पारित करते हुए न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर के समक्ष अपील प्रस्तुत करने तथा अधिनस्थ न्यायालय को अपील का निस्तारण प्रस्तुति दिनांक से तीन माह में किये जाने बाबत निर्देशित किया गया। तद्नुसार ही अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 29.10.2018 को जरिये अभिभाषक प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किया गया एवं अधिनस्थ न्यायालय का संबधित रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। अपील के विचाराधीन रहते अपीलान्ट द्वारा दिनांक 31.05.2019 को जरिये अभिभाषक कन्टेम्प्ट नोटिस भी प्रेषित किया गया। अपील वास्ते सुनवाई नियत की गई। दौराने सुनवाई अभिभाषक अपीलान्ट उपस्थित नही आये। न्यायहित में एक अन्तिम मौका दिये जाने के उपरान्त भी अभिभाषक अपीलान्ट दौराने

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

D.L.Sharma

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

सुनवाई उपस्थित नहीं आयें। अपीलान्ट के अपील तथ्यों को ही उनकी बहस दर्ज कर उपस्थित पैरोकार सरकार को सुना गया।

अपीलान्ट के मुख्यतः अपील कथन है कि अपीलान्ट की नानी ग्राम मदनगंज तहसील किशनगढ के पुराने साबिक खसरा नं0 10 नवीन खसरा संख्या 73 रकबा 06–3–00 बीघा के नवीन खसरा नं0 73/1 रकबा 06–03–00 पर संवत 2021 के पूर्व से काबिज काश्त चली आ रही थी। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 6.12.1978 को प्रश्नगत आराजी अपीलान्ट की नानी स्व ललिता बेवा गोकुल के पक्ष में नियमन का आदेश पारित कर तहसीलदार को राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने हेतु निर्देशित किया गया था। किन्तु तहसीलदार किशनगढ द्वारा प्रश्नगत आराजी के खातेदारी अधिकार कई बार निवेदन करने के उपरान्त भी प्रदान नहीं किये गये। उनकी मृत्यु के पश्चात अपीलार्थी की माता शान्ती बेवा दाऊलाल तथा उनके स्वर्गवास के पश्चात अपीलार्थी वर्णित आराजी पर काबिज काश्त चला आ रहा है। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 27.11.2013 को तहसीलदार किशनगढ के समक्ष उक्त नियमन शुदा कृषि भूमि के खातेदारी अधिकार दिये जाने के लिए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रेस्पोडेन्ट द्वारा सरसरी तौर पर खारिज कर दिया गया। जबकि कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियमन 18 के मुताबिक तहसीलदार को आवंटन/नियमन के 3 वर्ष पश्चात खातेदारी अधिकार स्वतः ही प्रदान किये जाने चाहिए। तहसीलदार के आक्षेपित आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में एस.बी.सिविल रिट पिटीशन नं0 7751/2015 पेश की गई जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.11.2016 के द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर के समक्ष अपील प्रस्तुत करने तथा अधिनस्थ न्यायालय को अपील का निस्तारण प्रस्तुति दिनांक से तीन माह में किये जाने बाबत आदेशित किया गया। तद्नुसार ही अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई। अपील के मुख्यतः आधार यह है कि अपीलान्ट की नानी श्रीमती ललीता का प्रश्नगत आराजी पर दिनांक 1.7.1975 से पूर्व का कब्जा होने के कारण तहसीलदार किशनगढ ने उनके विरूद्ध धारा 91 के तहत प्रकरण संख्या 451/76 सरकार बनाम ललिता बेवा गोकल ढोली सा0 किशनगढ दर्ज कर पटवारी हल्का से रिपोर्ट तलब की गई। मुताबिक रिपोर्ट अप्रार्थिया का विवादग्रस्त भूमि पर संवत 2029 से कब्जा काश्त होना तथा पूर्व में कोई भूमि नहीं होना, भूमि नगर पालिका सीमा से बाहर होना तथा लगान वसूल नहीं होना अंकित किया गया। दिनांक 01.07.1975 से पूर्व के कब्जे के आधार पर ही तहसीलदार द्वारा नियमन की सिफारिश कर पत्रावली उपखण्ड अधिकारी किशनगढ को प्रेषित की गई, जो उपखण्ड अधिकारी किशनगढ द्वारा अपने पत्र क्रमांक राजस्व/78/7678 दिनांक 11.12.1978 के द्वारा तहसीलदार किशनगढ को नियमन शुदा भूमि की राजस्व वसूली कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये गये। जिसकी पालना तहसीलदार किशनगढ द्वारा नहीं किये जाने पर अपीलान्ट द्वारा पुनः प्रार्थना पत्र उनके समक्ष प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार किशनगढ द्वारा आदेश दिनांक 2.04.2014 द्वारा मुताबिक रिपोर्ट पटवारी भूमि वर्तमान में सिवायचक है तथा नगरपरिषद की सीमा में स्थित है। हवाई अड्डे के नजदीक है तथा ए.डी.ए हेतु प्रस्तावित होने का अंकन करते हुए अपीलान्ट/प्रार्थी का आवेदन खारिज कर दिया, जो काबिले खारिज है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर रेस्पोडेन्ट द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 25.4.2014 को निरस्त फरमाया जाकर अपीलाधीन आराजी का अपीलान्ट को खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

उपस्थित राजकीय अभिभाषक द्वारा सर्व प्रथम अपीलार्थी की अपील माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के दो वर्ष बाद प्रस्तुत किये जाने से सुनवाई योग्य नहीं होने का निवेदन किया। अपनी बहस जारी रखते हुए राजकीय अभिभाषक ने आगे निवेदन किया कि अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार द्वारा सम्बन्धित पटवारी हल्का से रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट " प्रार्थी ने ग्राम मदनगंज के खसरा नं0 73/1 रकबा 39–19–10 सिवायक चक भूमि में से रकबा 06–03–00 बीघा भूमि की खातेदारी हेतु आवेदन किया है। उक्त भूमि नगर परिषद किशनगढ की सीमा में स्थित है। अर्न्तराष्ट्रीय हवाई अडडा के निकट है। ए.डी.ए को प्रस्तावित है। वर्तमान में उक्त भूमि रिक्त है। " उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर ही प्रश्नगत भूमि वर्तमान में किसी भी स्थिति में उनके स्तर पर नियमन योग्य नहीं पाये जाने पर ही तहसीलदार द्वारा अपीलान्ट/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है, जो कि न्यायोचित है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि प्रकट नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

हमने बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया, रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि वादग्रस्त आराजी सिवाय चक है। नगर परिषद किशनगढ की सीमा में तथा अर्न्तराष्ट्रीय हवाई अडडा के निकट होकर अजमेर विकास प्राधिकरण के लिए प्रस्तावित है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत आराजी बाबत अपेक्षित अनुतोष सक्षम न्यायालय में नियमित वाद के जरिये ही प्राप्त किये जा सकते है। तहसीलदार किशनगढ द्वारा पारित आक्षेपित आदेश में किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि एवं अवैद्यानिकता जाहिर नहीं है। अस्तु अपील अपीलान्ट अस्वीकार कर खारिज की जाती है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 27.06.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner